

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मैलाम

बनाम

मुरलीधर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 193/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09/05/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती मैलाम

पिता श्री किशोरीलाल शास्त्री

निवासी- नरपत की खेड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

नरपत की खेड़ी (प.ए.कर्मोरे) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 330 342

344 808/341 332
0.08 0.02 0.02

कुल कीता 044000 कुल रकबा 0.4200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम नरपत की खेड़ी (प.ए.कर्मोरे तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 330 342 344 808/341 322
0.19 0.11 0.08 0.02 0.02

कुल कीता 34404 रकबा 0.4200 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500.00 रुपये अक्षरे पाने जो लामर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(विनू देवल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)